बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo4/मु.क्षे.वि.यो.–52/2014–5569/यो.वि.,दिनांक2 दिसम्बर,2014

प्रेषक,

डा0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत दायित्वविहीन आवंटित राशि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में विधानसभावार एवं विधानपार्षदवार आवंटित की गई थी। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सदस्य, बिहार विधानमंडल की आदेयता की राशि के समतुल्य योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है। कतिपय जिलों में माननीय सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने/जिला परिवर्तन किए जाने या अन्य कारणों से आदेयता के समतुल्य राशि की योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार इस योजना अंतर्गत दायित्वविहीन राशि जिला में अप्रयुक्त है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–8 के आलोक में माननीय सदस्य की दायित्वविहीन आदेयता की राशि का आवंटन परवर्ती सदस्य को आवंटित की जानी है।

अनुरोध है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सदस्य के लिए जिले को आवंटित राशि जो दायित्वविहीन है उसका आकलन कर विभाग को 10.12.2014 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

2/12/14

(डा0 अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक